FAX/MAIL 111

ज्ञापांक 2139 / डब्ल्यू.
02-02-क0-को-2017

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक 20/12/17

सेवा में,

निदेशक पी0टी0सी0 हजारीबाग/
पुलस उप-महानिरीक्षक जंगलवार फेयर नेतरहाट/
वरीय पुलिस अधीक्षक,(राँची/जमशेदपुर/धनबाद)/
सभी पुलिस अधीक्षक(झारखण्ड जगुआर/रेल/अप0अनु0वि0/विशेष शाखा/निगरानी/एम0पी0टी0सी0पदमा/टी0टी0एस0,जमशेदपुर सहित)
सभी समादेष्टा,(झा0स0पु0/आई0आर0बी0/एस0आई0एस0एफ0 सहित)

विषय :- **झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष का बृत प्रेषित करने के संबंध में।**

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-17.11.2017 को पुलिस मुख्यालय में झारखण्ड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के कल्याण हेतु बैठक का आयोजन किया गया जिसमे सर्वसम्मति से ''झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष'' के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक का बृत आप सबो को प्रेषित किया जा रहा है

बृत में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष के संचालन हेतु सभी वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कटौती हेतु प्रस्तावित प्रोफार्मा भेजते हुए निदेश है कि झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष में कटौती संबंधी आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक:-यथोपरि

पुलिस उप-महानिरीक्षक,(बजट)
झारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा/अप0अनु0वि0/भ्र0नि0ब्यूरो/झा0स0पु0, झारखण्ड राँची को कृपया सूचनार्थ।
2. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड को कृपया सूचनार्थ।
3. सभी क्षेत्रीय पुलिस पुलिस उप-महानिरीक्षक (झा0स0पु0/आई0आर0बी0/रेल/निगरानी/विशेष शाखा/अप0अनु0वि0, सहित) को कृप्या सूचनार्थ।
4. प्रभारी डाटा सेन्टर, पुलिस मुख्यालय झारखण्ड राँची को झा0पु0 वेपसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

पुलिस उप-महानिरीक्षक,(बजट)
झारखण्ड, राँची।

बैंक में आवेदन देने का प्रारूप

(झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए)

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

....

बैंक...

द्वारा:— पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा.....................।

विषय:— **मेरे खाता संख्या.............................. से प्रतिमाह अंशदान के अंतरण के लिए स्थाई अनुदेश करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर मुझें कहना है कि भवदीय के शाखा में मेरा विषयांकित खाता संधारित है जिसमें मेरा मासिक वेतन की राशि प्राप्त होता है। चतुर्थवर्गीय पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए संधारित कल्याण कोष के निम्नांकित खाता में प्रतिमाह, मेरे खाता से 10 तारीख को निम्न राशि को अंतरित करने की कृपा की जाय।

बैंक का नाम, ब्रांच कोड, IFSC कोड (पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)	पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा का झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष का खाता सं0 (पुलिस अधी0 / समादेष्टा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)	कोष का नाम	प्रतिमाह अंतरित होने वाली राशि
		झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष	100

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर—

(नाम,पद, पदस्थापन, थाना / पुलिस केन्द्र का नाम)

मो0न0:—

दिनांक–17.11.2017 को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) के अध्यक्षता में झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष के गठन हेतु सम्पन्न बैठक का वृतः–

दिनांक–17.11.2017 को अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय राँची की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री पी0आर0के0 नायडू, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची।
2. श्री मुरारी लाल मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची।
3. श्री शंभु ठाकुर, पुलिस उप–महानिरीक्षक (बजट), झारखण्ड, राँची।
4. श्री सुधीर कुमार झा, पुलिस उप–महानिरीक्षक झा0स0पु0 राँची,।
5. श्री राजकुमार लकड़ा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची।
6. श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अप0अनु0 विभाग, राँची।
7. कुमारी चान्दों,अध्यक्ष झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ, राँची।
8. श्री सुधीर थापा, महामंत्री झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ, राँची।

<u>बैठक की कार्रवाई</u> :–

उक्त बैठक में सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये

1. कोष का नाम एवं उद्देश्यः– बैठक में झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक कोष के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त कोष का नाम ''झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष'' होगा। इस कोष का गठन झारखण्ड पुलिस में कार्यरत चतुर्थवगीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के उदेश्य से किया गया है। यह योजना 17 नवम्बर 2017 से लागू समझा जायेगा।

2. प्रबंध समितिः– इस कोष के संचालन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय प्रबंध समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होगें।

1.	महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक	– अध्यक्ष
2.	अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)	– सदस्य
3.	अपर पुलिस महानिदेशक झा0स0पु0	– सदस्य
4.	अपर पुलिस महानिदेशक वि0शा0	– सदस्य
5.	अपर पुलिस महानिदेशक (अप0अनु0 विभाग)	– सदस्य
6.	पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)	– सदस्य
7.	पुलिस उप–महानिरीक्षक (बजट)	– सदस्य
8.	चिकित्सा पदाधिकारी झा0स0पु0–01, डोरण्डा राँची	– सदस्य
9.	अध्यक्ष झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ	– सदस्य
10.	महामंत्री झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ	– सदस्य

3. नियंत्रणः– इस कोष के अध्यक्ष महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची होगें। पुलिस उप–महानिरीक्षक (बजट) इस कोष के अवैतनिक सचिव होगें और महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की सहायता प्रदान करेंगे। अवैतनिक सचिव के हस्ताक्षर से ही राशि की निकासी की जायेगी।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कल्याण कोष में जमा राशि पर नियंत्रण एवं इसका प्रबंधन पुलिस उप–महानिरीक्षक (बजट) के स्तर से की जायेगी एवं संबंधित सभी संचिकायें पुलिस उप–महानिरीक्षक बजट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) झा0 तथा अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय झा0 से होते हुए पुलिस महानिदेशक झा0 को अग्रसारित की जाएगी।

प्रत्येक जिला/ईकाई द्वारा प्रतिमाह चन्दे में कटौती की गई राशि का बैंक ड्राफ्ट अवैतनिक सचिव, झारखण्ड, पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष भारतीय स्टेंट बैंक, ध्रुर्वा, राँची, शाखा के नाम बनवाकर पुलिस उप–महानिरीक्षक (बजट) झा0, राँची के पते पर भेजा जाएगा। पुलिस उप–महानिरीक्षक (बजट) इस कोष से संबंधित अलग खाता खुलवाने की कारवाई करेंगें।

4. सदस्यता/अंशदान/प्रात्रताः– झारखण्ड राज्य के सभी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी इसके सदस्यता के पात्र होगें तथा प्रत्येक सदस्य के मासिक वेतन से प्रतिमाह 100/–रू0 अंशदान के रूप में कोष में जमा करेगें। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारी एक सहमति पत्र पुलिस मुख्यालय को समर्पित करेगें।

5. अंशदान कटौती की प्रक्रियाः– अशंदान कटौती प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सदस्यों को मिलने वाले वेतन से की जा सकेगी। चुँकि वर्तमान में सभी कर्मियों का वेतन भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से सीधे संबंधित के खाते में किया जाता है अतः मासिक अंशदान कटौती हेतु सभी सदस्यों को संबंधित बैंक को कटौती हेतु एक प्रफोर्मा (जो पुलिस एसो0 एवं मेन्स एसो0 द्वारा प्रस्तावित है) भरकर अपने–अपने प्रतिष्ठान में समर्पित करेगें। कटौती के संबंध में भी एसो0 के पदाधिकारी प्रस्तावित प्रफोर्मा के साथ सहमति पत्र पुलिस मुख्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेगें। तदनुसार कटौती की प्रकिया प्रारंभ की जाएगी।

जिला/इकाई स्तर पर लाभुकों से कटौती की गई राशि का 40 प्रतिशत जिला/ईकाई स्तर पर एक अलग खाता संधारित कर रखी जाएगी एवं 60 प्रतिशत राशि को झा0 पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष में पुलिस उप–महानिरीक्षक(बजट) भारतीय स्टेट बैंक धुर्वा राँची शाखा के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाएगा।

लाभुकों को प्रदान की जाने वाली राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। किसी लाभुक द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं कल्याण कोष से ली गई कुल राशि यदि लाभुक के अपने चिकित्सा में किये गये व्यय की दावा राशि से कम है तो किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यदि सरकार द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति में प्रदत्त राशि एवं कल्याण कोष से ली गई राशि, चिकित्सा में हुए व्यय की दावा राशि से अधिक है तो अतिरिक्त राशि वापस कल्याण कोष में कटौती कर ली जाएगी।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन अनुदान प्राप्ति के पश्चात चार माह के अन्दर निश्चत रूप से समर्पित करना होगा अन्यथा संबंधित कर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. सहायता कब देय होगाः– कोष के प्रारम्भ होने से छः माह के पश्चात ही सदस्यों को सहायता देय होगा।

7. प्रबंध समिति का विशेषाधिकारः– प्रबंध समिति को विभाग में सेवारत चतुर्थवर्गीय कर्मियों के कल्याण कार्य यथा शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने और चलाने, यक्ष्मा के मरीजो के लिए

अस्पताल में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने, पुस्तकालय, जलपानगृहों (कैन्टीन), सामान्य सामाग्रियों का भंडार चलानें आदि पर खर्च करने के लिए कोष से अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार होगा। कोष से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद / शिकायातो के निष्पादन का अधिकार केवल प्रबंध समिति के पास सुरक्षित होगा।

केंद्रीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अवैतनिक सचिव तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान करने हेतु प्राधिकृत होगें जिसे समिति की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाऐगा। इस प्रकार जिला स्तरीय उप–समिति के अध्यक्ष एवं सचिव भी सहायता राशि दे सकेंगे।

8. **जिला स्तरीय उप–समिति का गठनः–** प्रत्येक जिला / वाहिनी के स्थापना में भी एक झा0पु0 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया जायगा। जिसमें निम्नांकित अध्यक्ष एवं सदस्य होगें।

(क) पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा – अध्यक्ष

(ख) जिला / वाहिनी मुख्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक(लेखा) – सदस्य

(ग) जिला / वाहिनी मुख्यालय स्थित परिचारी प्रवर / परिचारी – सदस्य

(घ) जिला / वाहिनी मुख्यालय स्थित सहायक, लेखा शाखा – सदस्य

(ङ) जिला / वाहिनी स्तर पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी एसो0 के अध्यक्ष – सदस्य

(च) जिला / वाहिनी स्तर पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी एसो0 के सचिव – सदस्य

पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा के कार्यालय में प्रधान लिपिक इसके पदेन सचिव होंगे।

कोष के संचालन हेतु सभी पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा जिला / इकाई स्तर पर "झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कल्याण कोष" के नाम से अलग खाता खोलने की कारवाई सुनिश्चित करेंगें।

9. **आवेदन पत्र का प्रारूप** :– लाभुक / सदस्यों द्वारा इस कोष से सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्ररूप निम्नवत होगा।

<u>झारखण्ड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष–विहित पत्र</u>

1. चतुर्थवर्गीय कर्मी का नाम एवं पदनाम :–
2. जिला / इकाई :–
3. परिवार के किस सदस्य (माता–पिता, पति–पत्नी एवं दो बच्चे मात्र) के लिए आवेदन किया जा रहा है :–
4. संबंध :–
   (आश्रित होने का स्वअभिप्रमाणित आश्रित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. किस बीमारी के लिए आवेदन किया जा रहा है :–
6. बीमारी का ब्योरा :–